विचार बिन्दु

एकांत मूर्ख के लिए कैदखाना है और ज्ञानी के लिए स्वर्ग। –अज्ञात

केजरीवाल की गिरफ्तारी व बेल की शर्तों के अनुवसार NCT का प्रशासन कानूनानुसार नहीं चलाया जा रहा है अत: अनुच्छेद 237 AB के अनुसार समीचीन शासन व्यवस्था है

भारत दुनियां का सबसे बडा लोकतंत्र है। यह भी कहा जा रहा है कि भारत की आबादी चीन की आबादी को चुनौती दे रही है। भारत शब्द का अर्थ है, भा रत अर्थात् धर्म में लीन रहने वाला देश। यह धर्म प्रधान देश है। सही अर्थों में यह लोकतंत्र है, जहां प्रत्येक नागरिक को अपने अपने धर्म को मानने, पूजा करने व आराधना का मूल अधिकार है। समता और समानता की पवित्रता को कोई धर्म समझता है तो वह देश भारत है। भाजपा व एनडीए के ग्रुप के विरोध में जो संयुक्त संगठन है उसे INDIA कहा गया है। अंग्रेजों ने भारत को INDIA कहा था। तत्समय की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में INDIA का अर्थ दिया, वह देश जहां के लोग अशिक्षित हैं आपराधिक प्रवृति के हैं।

शराब घोटाले के मामले में ईडी ने 21 मार्च 2024 को केजरीवाल को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद 51 दिन बाद उन्हें अंतरिम जमानत मिली। यह जमानत सशर्त थी। उन्हें 50 हजार का व्यक्तिगत मुचलका भरना होगा। वे सीएम दफ्तर में नहीं जायेंगे। उपराज्यपाल की मंजूरी बिना किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। रिहा होने के बाद वे केस के गुण दोष पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। किसी गवाह से सम्पर्क नहीं करेंगे। मुख्य शर्त थी वे 2 जून को स्वयं अपने को ईडी के सुपुर्द करेंगे। ईडी के विरोध के उपरान्त उन्हें अन्तरिम जमानत दी गई। उन्हें जमानत इसलिये दी गई कि देश में आम चुनाव होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। अपनी संस्था आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया (संयोजक) थे। वे इण्डिया अलायन्स के एक भाग हैं। उनकी 'आप' ने 22 उम्मीदवार पांच राज्यों में उतारे हैं। चुनाव में वे भी एक नेशनल लीडर हैं। भारत में चुनाव एक राष्ट्रीय पर्व की तरह होता है इनमें लगभग 650-700 मिलियन्स वोटर्स भाग लेंगे, जबकि सम्पूर्ण इलेक्टोरेट 970 मिलियन्स का है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव की इस घटना को Most significant and an important event माना है। अन्तरित बेल के आदेश से केस के मेरिट का कोई संबंध नहीं है। माननीय न्यायालय ने चुनावों को महापर्व माना है और यह कहा है कि राजनीति में काम करने वालों के लिये इस पर्व में भागीदार होना आवश्यक है, यह स्वयं में केजरीवाल को प्रचार का अधिकार देता है। ईडी के सुयोग्य अधिवक्ता तुषार मेहता के इस कथन को सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इन्कार किया है कि केजरीवाल को प्रचार करने की अनुमति देना पर उन सभी व्यक्तियों को भी जमानत देनी होगी जो चुनावों में भाग लेने को उत्सुक हैं।

कानून में असहमति को प्रगति का सूचक माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकांश बडे निर्णय इस बात को उजागर करते हैं कि अल्पमत के निर्णय ने ही बडी पीठ के निर्णय को देश का कानून बनाया है। केजरीवाल के दिनांक 10.5.2024 के आदेश के बाबत विद्वानों की अलग अलग राय है। इसे समझने के लिये हम पेरोल (Parol) शब्द के अर्थ की व्याख्या करें, जिसका अर्थ है, किसी बंदी व्यक्ति को उसकी सजा की अवधि पूरी होने के पहले की अस्थाई रूप से रिहा करना। पेरोल की अवधि समाप्त होते ही व्यक्ति को अपने को सरेन्डर करना होता है केजरीवाल के केस में भी यही स्थिति है उन्हें 2 जून 2024 को सरेन्डर करना होगा। पेरोल साधारण रूप से शादी, परिवार में मृत्यु, बीमारी आदि के मामलों में दिया जाता है। अन्तरिम बेल इस घटना को इसलिये कहा गया है कि केस में अभियुक्त को दोषी अभी नहीं माना गया है। केजरीवाल के केस में संसद के चुनावों को बहुत महत्व दिया है और गिरफ्तारी पर उंगली उठाई है कि केजरीवाल केा उस समय गिरफ्तार किया गया जब चुनावों की घोषणा हो चुकी थी।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चन्द्राबाबू नायडू के केस को भी रखा गया। उस केस में चन्द्राबाबू को जमानत दी गई थी, इस शर्त के साथ ही चन्द्राबाबू चुनावों में भाग नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त को गलत माना और शर्त को हटा दिया। केजरीवाल के केस में माननीय कोर्ट ने कहा कि 21 दिन का समय जो केजरीवाल को प्रचार के लिये दिया है वह कोई भारी अन्तर पैदा कर देगा यह समझ में नहीं आता। केजरीवाल का कोई क्रिमिनल रेकार्ड भी नहीं है और न वे ऐसे व्यक्ति हैं, जो सोसायटी के लिये खतरा हों। इसे भी महत्व दिया गया कि केस में गिरफ्तारी ही को चुनौती दी गई है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि केजरीवाल सीएमओ दिल्ली सेक्रेटेरियट नहीं जावेंगे न वे हस्ताक्षर करेंगे। यह भी कह दिया कि वे केस के मेरिट पर अपना मुंह नहीं खोलेंगे।

केजरीवाल के विरूद्ध जो आरोप लगाया है उस अपराध में जमानत नहीं दी जा सकती। साथ ही आरोपी के विरूद्ध यह साबित करने का भार है कि उसके कोई अपराध नहीं किया। ईडी का केस है कि जब केजरीवाल को समन भेजे गये थे उन्हें अभियुक्त रूप में आरोपित नहीं किया था। बाद में अब जाँच की कार्यवाही में पर्याप्त सबूत मिले हैं जिससे केस उनके विरूद्ध बनता है और साबित होता है कि रिश्वत की राशि का उपयोग कहां-कहां हुआ है। के कविता के विरूद्ध धारा 45 व 44(1) पीएमएलए के तहत् चार्जेज हैं। कविता 4 अन्य अभियुक्तों के साथ हैं।

केस में केजरीवाल को जो समन भेजे गये उस समय तक वे आरोपी नहीं थे, उनके विरूद्ध आरोपी की बात केस में जांच की कार्यवाही के दौरान जानकारी में आई और ईडी ने स्पष्ट शब्दों में कहा उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। रिश्वत के रूपयों को कहां-कहां उपयोग हुआ उसकी जानकारी उपलब्ध है।

अभी तक जो बहस खण्डपीठ (सुप्रीम कोर्ट) के समक्ष हुई वह कुछ मार्ग भटक गई थी और बहस मुख्य तौर पर अन्तरिम जमानत पर सिमिट कर रह गई। मुख्य बहस तो होनी शेष है।

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के विरूद्ध यह अपील है, जिसकी सुनवाई माननीय न्यायालय कर रहा है। हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश है, तथ्यात्मक विवेचन है उसके तर्कों को खण्डित करना कठिन होगा, क्योंकि आदेश दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता और न वह झीनेा ही है। साधारणत: सर्वोच्च न्यायालय, हाईकोर्ट के निर्णय को उसी समय निरस्त करता है जब केस में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अन्तर्वलित हो। केस में इस आधार पर चुनौती है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी रूप से सर्वथा अधिकार शून्य थी और केस में व्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार के संरक्षण का प्रश्न है।

केस में केजरीवाल को जो समन भेजे गये उस समय तक वे आरोपी नहीं थे, उनके विरूद्ध आरोपी की बात केस में जांच की कार्यवाही के दौरान जानकारी में आई और ईडी ने स्पष्ट शब्दों में कहा उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। रिश्वत के रूपयों को कहां-कहां उपयोग हुआ उसकी जानकारी उपलब्ध है। ईडी ने केजरीवाल के विरूद्ध सप्लीमेन्टरी जार्चशीट भी पेश करने की बात माननीय न्यायालय के समक्ष कही है। कहने का अर्थ है केस में कई मुद्दों पर अभी तक सारभूत बहस नहीं हुई है। ईडी आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनायेगी।

एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य की ओर लेखक ध्यान आकर्षित करना चाहेगा। इस केस को शराब घोटाले का शीर्षक दिया गया है। इस केस को केजरीवाल की नई शराब नीति का नाम भी दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 47 को शराब बंदी के कानून का प्रावधान के रूप में माना जाता है। इस प्रकार शराब बेचकर अधिक लाभ अर्जित कर राज्य के लिये राजस्व प्राप्त करना इसका उद्देश्य नहीं हो सकता, जबकि केजरीवाल की शराब नीति का मूल भाव तो यही था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि कल्याणकारी राज्य शराब की आय से राजस्व नहीं कमा सकता। इस प्रकार केजरीवाल की नई शराब की नीति संविधान के नीति निदेशक तत्वों के विरूद्ध थी, अवैध थी और इसे क्रियान्वित करना संविधान का अपमान ही माना जावेगी। नई शराब नीति का मुख्य उद्देश्य था कि दिल्ली में अधिक से अधिक शराब बेची जावे। शराब को खरीदने वालों को प्रोत्साहन दिया गया कि उन्हें एक बोतल खरीदने पर दूसरी बोतल फ्री दी जावेगी। एक क्रेट (पेटी) खरीदने पर दूसरा क्रेट फ्री दिया जावेगा। दिल्ली की गली-गली में शराब की दुकानें खोली गईं। कहते हैं नकली शराब का धन्धा भी पनपा। दिनांक 17 नवम्बर 2021 को नई एक्साईज पोलिसी लागू हुई। शराब बिक्री के नियम भी बदले गये। नई पोलिसी के तहत शराब स्टोर्स को अधिकार दिया कि ग्राहक को लुभाने के लिये वे गिफ्ट और डिस्काउन्ट दे सकते हैं। शराब का यह कार्य एक प्रकार से निजी हाथों में दे दिया गया। शराब की खुदरा बिक्रेता कम्पनियों से शराब की बिक्री से पूर्व ही लाइसेंस शुल्क के रूप में 300 करोड रूपये ले लिये। वे एमआरपी रेट से नीचे भी शराब बेच सकते थे नई नीति से राजस्व में 3500 करोड रूपये का मुनाफा होने की बात कही।

विवाद उठा केजरीवाल ने पुरानी शराब नीति पुन: चालू कर दी, क्योंकि दिल्ली के एलजी ने सीबीआई जांच कराने की मांग कर दी। कथित शराब घोटाले का खुलासा 08.07.2022 को मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में दिया। 18 अगस्त 2022 को ईडी ने मनी लोन्ड्री का मामला दर्ज किया। इसी मामले में जानकारी के लिये ईडी ने समन द्वारा केजरीवाल को बुलाया था। इसी में आप के कई नेता गिरफ्तार हुये और बाद में केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। शराब का व्यापार जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक अनैतिक माना गया है। धर्म ग्रन्थों में शराब को पाप की जननी कहा है।

संविधान में शराब बंदी लागू करने का कर्त्तव्य सरकार का है; चूंकि शराब स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है इसका व्यापार निषेध किया गया है। शराब बंदी का अर्थ है, 'शराब पीने की मनाही', किन्तु केजरीवाल की शराब नीति थी, शराब को बेचो, पिलाओ, राजस्व कमाओ और जनता को मरने के लिये छोड दो। फौजदारी विशेष अदालत में यह केस प्रारम्भिक स्थिति में चल रहा है। इसी में केजरीवाल को अन्तरिम जमानत पर छोडा गया है, इस शर्त के साथ कि वह 2 जून 2024 को सरेन्डर कर देगा। एक प्रकार से केजरीवाल को मुख्यमंत्री के सभी अधिकारों का प्रयोग करने से रोक दिया गया है। फलस्वरूप राज्य का सारा काम रूक गया है। एमरजेन्सी की स्थिति बनी हुई है। साधारण रूप से सीएम को त्याग पत्र देना चाहिये जैसा सोरन ने किया। केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिकायें पेश हो चुकी हैं, किन्तु माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, यह कह कर कि यह न्याय क्षेत्र का मामला नहीं है यह एक प्रशासनिक कार्यवाही है, जो एलजी के अधिकार क्षेत्र में विचारणीय हो सकता। पिटीशनर ने अपनी पिटीशन में कहा है, चूंकि केजरीवाल अन्तरिम बेल पर हैं और गिरफ्तारी के कारण वे अनुच्छेद 239 एए(4), 167(बी), 167(सी) के तहत् अपने दायित्व को निभाने में असमर्थ है अत: वे मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर सकते। एलजी (उपराज्यपाल) स्वयं भी मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में अपने दायित्वों को जो अनुच्छेद 167(सी) में दिये हैं, उनका निर्वाहन नहीं कर सकते। अत: दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करने हेतु उचित कदम उठाये जा सकते हैं। केजरीवाल बेल पर हैं और बेल की शर्त के अनुसार चुनाव प्रचार कर रहे हैं इसलिये 4 जून, 2024 के बाद समय और उचित परिस्थिति को देखकर समीचीन कार्यवाही की जावे।

सत्यमेव जयते!

–अतिथि सम्पादक
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है तालछापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य

स्टाफ की कमी से अभ्यारण्य के रखरखाव, पर्यटकों की सुविधा एवं वन्य जीवों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है

सुजानगढ़, (कासं)। ताल छापर का विश्व प्रसिद्ध कृष्ण मृग अभ्यारण्य स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। स्टाफ की कमी के कारण अभ्यारण्य के रोजमर्रा के कामों को पूरा करने में ही परेशानी हो रही है तथा अभ्यारण्य के रखरखाव, पर्यटकों की सुविधा एवं वन्य जीवों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। अभ्यारण्य में एक क्षेत्रिय वन अधिकारी है, जिनके पास ताल छापर का अतिरिक्त चार्ज है, वहीं दो सहायक वनपाल हैं। लेकिन वन रक्षक एवं वनपाल यहां पर नहीं है।

जानकारी के अनुसार यहां इस समय 8 से 10 कर्मचारियों की कमी है। कर्मचारियों की कमी के कारण अभ्यारण्य का प्रभावित हो रहा है। डीएफओ भवानी सिंह ने स्टाफ की कमी स्वीकार करते हुए कहा कि आचार संहिता हटने के बाद कुछ स्टाफ की पूर्ति कर दी जाएगी। इसके बाद सभी पदों पर स्टाफ पूरा करने की उम्मीद भी जताई।

सुजानगढ़ का ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य।

- अभ्यारण्य में एक क्षेत्रिय वन अधिकारी है, जिनके पास ताल छापर का अतिरिक्त चार्ज है, वहीं दो सहायक वनपाल हैं

तालछापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य करीब 800 हेक्टेयर में फैली हुआ है, जो काले हिरणों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। काले हिरणों की संख्या लगातार बढते रहने के कारण दूसरी जगह छोड़े जाने के हाईकोर्ट के निर्देश के बाद निकटवर्ती जसवंतगढ़ में भी 600 हेक्टेयर में एक ग्रासलैंड तैयार किया जा रहा है।

तालछापर अभ्यारण्य में करीब 5000 काले हिरण और 150 चिंकारा समेत सैंकडड़ें दूसरे जानवर भी पाए जाते हैं। इनमें भारतीय लोमड़ी, मरू लोमड़ी, जंगली सूअर, नीलगाय, जंगली बिल्ली, मरू बिल्ली, मॉनिटर लिजार्ड समेत कई जानवर शामिल है। यहां 300 से ज्यादा प्रजातियों के देसी विदेशी पक्षी भी पाए जाते हैं, जिनमें से कई पक्षी दुर्लभ है।

इन्हें देखने के लिए दुनिया भर से पक्षी प्रेमी यहां आते हैं। पिछले एक साल में यहां करीब 8 हजार पर्यटक आए। अभ्यारण्य भ्रमण के लिए पर्यटक ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं।

तीन माह से भुगतान नहीं मिलने पर महिला मनरेगा मजदूरों ने हंगामा किया

कानोड़, (निसं)। नगर पालिका परिसर में एक साथ पहुंची दर्जनों महिला मनरेगा मजदूरों ने हंगामा खड़ा कर दिया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि इस तेज गर्मी में काम करने के बावजूद उन्हें भुगतान नहीं करने की धमकियां दी जा रही है जो गलत है। बीते तीन महीने से उन्हें भुगतान भी नहीं मिला है।

जानकारी के अनुसार नगर पालिका के अतिरिक्त जेईएन रसेल सिंह पंवार मनरेगा कार्य स्थल डुमरी तलाई व कंडेला तालाब पर जाकर मनरेगा मजदूरों से काम सही नहीं करने पर 20 रूपए भुगतान होने की बात कही। वहीं मेट को भी फटकार लगाई जिस पर नरेगा मजदूर आक्रोशित हो गए और काम छोड़कर नगर पालिका पहुंचकर पालिका कार्मिकों को जमकर खरी-खोटी सुनाई, पालिका में हंगामे की जानकारी मिलने के बाद तहसीलदार रणजीत यादव नगर पालिका कार्यालय पहुंचे और महिलाओं को समझाने का प्रयास किया तो महिलाओं ने उनके समक्ष भी आक्रोश प्रकट करते हुए आपबीती बताई, जिस पर तहसीलदार रणजीत यादव ने महिला मजदूरों की समस्या का समाधान के लिए संबंधित कर्मचारी को जमकर लताड़ लगाते हुए पाबंद किया। महिला मजदूरों ने तीन माह से भुगतान नहीं होने की शिकायत भी तहसीलदार के समक्ष की जिस पर तहसीलदार ने पालिका कार्मिकों से सवाल किया। इस दौरान पूर्व पालिका पार्षद कोमल कमरिया सहित स्थानीय लोग भी पहुंचे और नरेगा मजदूरों की समस्या को लेकर अधिकारियों से चर्चा की।

मनरेगा जेटीए जयराम मीणा से जब तहसीलदार रंजीत यादव ने सवाल जवाब किए जिस पर जेटीए मीणा ने नरेगा मजदूरों के आक्रोश को लेकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। साथ ही उन्होंने बताया कि नगर पालिका में बीते दिनों बिना जेईएन के हस्ताक्षर के करोड़ों रुपए की राशि उठा ली गई हैं, जिस पर कोई जांच नहीं हो रही है, और मनरेगा मजदूरों के भुगतान के लिए जेईएन की जरूरत पड़ रही है जो गलत है। केवल नरेगा मजदूरों को परेशान किया जा रहा है। जेटीए जयराम मीणा ने तहसीलदार रणजीत यादव को बताया कि नरेगा कार्य पर नजर रखने के लिए एक और जेटीए बृजेश गुर्जर को लगाया गया है जिनके पास भींडर का अतिरिक्त चार्ज भी है वह एक भी बार कानोड़ नहीं आए जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

- मनरेगा मजदूरों ने पालिका कार्मिक पर धमकाने के आरोप लगाए

तहसीलदार के सवाल जवाब से गुस्साए जेटीए जयराम मीणा ने कहा कि मैं आज ही अपने पद से इस्तीफा देता हूं ऐसी नौकरी नहीं करनी, केवल मुझे परेशान करने के लिए पालिका के कुछ लोगों को द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है। मनरेगा मजदूर विधिवत कार्य कर रही है किसी प्रकार की कोई समस्या बीते लंबे समय से नहीं आ रही है। जिस पर तहसीलदार रणजीत यादव ने कहा कि आप अपना इस्तीफा अपने अधिकारियों या संबंधित को दें इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। शिकायत आएगी तो आपको कहना पड़ेगा।

आक्रोशित लोगों का कहना था कि नगर पालिका में कर्मचारी गुटों में बटे हैं, जिसे आम जनता कार्यों को लेकर परेशान हो रही है, अधिकारी नहीं होने की वजह से एक दूसरे की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अतिरिक्त चार्ज पर पूर्व में भी कई गंभीर आरोप लगे हैं लेकिन संबंधित जिम्मेदार स्थाई अधिकारी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं जिससे पालिका की व्यवस्थाएं चरमरा गई है और फिर से अतिरिक्त चार्ज विवादित कर्मचारी को देने की तैयारी चल रही है, लोगों का कहना था कि अगर ऐसा हुआ तो वह कड़ा विरोध करेंगे।

रणजीत यादव, तहसीलदार कानोड़ ने बताया कि मनरेगा मजदूरों के हंगामा की जानकारी मिलने पर मैं पालिका पहुंचा संबंधित कर्मचारियों से बात कर कार्य में कोताही नहीं बरतने के पाबंद किया है। 20 रूपये भुगतान आने की बात कहने से मजदूर आक्रोशित हो गए थे, मजदूरों का भुगतान बजट नहीं होने से लंबित होना बताया गया। समझाइश कर विधिवत कार्य शुरू करवाया।

जयराम मीणा, जीटीए नगर पालिका कानोड़ ने बताया कि जेईएन रसेल सिंह ने मुझे नरेगा मजदूरों की 20 रूपए से एमबी भरने को कहा, मैंने मना किया जिस पर उन्होंने मजदूरों को धमकाया। मनरेगा टीम के साथ षड्यंत्र चल रहा है, अपने किए गबन से बचने के लिए कैलाश मीणा मुझे फंसाने का प्रयास कर रहा है। बिना जेईएन के मनरेगा मजदूरों का भुगतान नहीं हो सकता तो फिर नगर पालिका में बीते दिनों बिना जेईएन के हस्ताक्षर के करोड़ों का भुगतान कैसे हो गया। जांच के लिए अधिकारियों को लिखूंगा।

जसरापुर की गोचर भूमि में हो रहा अतिक्रमण, ग्रामीणों में रोष

ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर अतिक्रमण हटाने की मांग की

खेतडी, (निसं)। खेतडी उपखंड के जसरापुर की गौचर भूमि में अवैध रूप से अतिक्रमण कर लेने का मामला सामने आया है। इस संबंध में गुरूवार को भारतीय किसान संघ व ग्रामीणों की ओर से एसडीएम को ज्ञापन देकर अवैध रूप से हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग की गई है।

एसडीएम सविता शर्मा को दिए ज्ञापन में बताया कि गांव के पास गौचर भूमि व जोहड़ की भूमि खाली पड़ी हुई है, जिसमें गांव के अलावा अन्य पशुओं के बैठने लिए उपयुक्त जगह है। गौचर भूमि को खाली देखकर कुछ असामाजिक लोगों द्वारा भूमि पर कब्जा कर अवैध रूप से निर्माण कार्य व अतिक्रमण किया जा रहा है। जिसको लेकर गांव के लोगों की ओर से गौचर भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने को लेकर समझाने के बाद भी भूमि माफिया लगातार गौचर भूमि पर कब्जा करने में लगे हुए हैं। ग्रामीणों बताया कि गौचर भूमि पर अवैध रूप से कब्जा होने से गायों को भटकना पड़ रहा है। ऐसे में गौ माता की स्थिति को देखते हुए अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। इस संबंध में एसडीएम सविता शर्मा ने कहा कि इस मामले की जानकारी जुटाई जाएगी। यदि सार्वजनिक भूमि पर कोई भी व्यक्ति अतिक्रमण या अवैध कब्जा करता पाया गया तो उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर किसान संघ के प्रदेश मंत्री गजानंद कुमावत, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष किशनलाल, सुबेदार महेंद्र सिंह, उमराव सिंह, गणपत राम खटाणा सहित अनेक ग्रामीणजन मौजूद थे।

भारतीय किसान संघ व ग्रामीणों ने एसडीएम सविता शर्मा को ज्ञापन देकर अतिक्रमण हटाने की मांग की।

राशिफल शुक्रवार 17 मई, 2024

पंडित अनिल शर्मा

वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2081, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 9:18 तक, व्याघात योग प्रात: 9:20 तक, कौलव करण प्रात: 8:49 तक, चन्द्रमा रात्रि 4:05 से कन्या राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृष, चन्द्रमा-सिंह, मंगल-मीन, बुध-मेष, गुरू-वृष, शुक्र-मेष, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से रात्रि 9:18 तक है। रवि योग सम्पूर्ण दिन-रात रहेगा। आज श्री हरि जयन्ती है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:22 तक, लाभ-अमृत 7:22 से 10:43 तक, शुभ 12:23 से 2:03 तक, चर 5:24 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 5:42, सूर्यास्त 7:04

मेष
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
घर-परिवार के कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में आपसी वाद-विवाद बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

वृष
घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या
आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। धन हानि का भय है। अनावश्यक धन खर्च होगा। व्यावसायिक अड़चनें अभी यथावत बनी रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा।

मकर
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

मिथुन
व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को बाहर जाना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

तुला
आर्थिक/वित्तिय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कर्क
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

मीन
स्वास्थ्य से संबंधित चिन्ता दूर होगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य से बनने लगेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।